M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2021

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 15
कुल प्रश्नों की संख्या : 15

No. of Printed Pages : 05
मुद्रित पृष्ठों की संख्या :05

First Question Paper
प्रथम प्रश्न–पत्र
CONSTITUTION, CIVIL LAW & PROCEDURE
संविधान, व्यवहार विधि एवं प्रक्रिया

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of any question, the English version shall prevail.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form or at any place of Answer Book that may be distinguished/ identified to the candidate from others, is strictly prohibited and shall in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of answers must be clear & legible. If the writing on Answer Book is not clear or illegible in view of Valuer (s) then the valuation of such Answer Book may not be considered.
   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो ऐसी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

CONSTITUTION OF INDIA
भारत का संविधान

1. Discuss the inbuilt device in the Constitution that saves specified statute from attack on the ground that they infringe Fundamental Rights, Part-III, of the Constitution? — 8

संविधान में अंतर्निहित साधन की व्याख्या करे जो किसी विशिष्ट विधि को इस आधार पर प्रश्नगत करने से संरक्षित करता है कि ऐसी विधि संविधान के मूल अधिकार, भाग–III, का उल्लंघन करती है?

2. Discuss the pardoning power of president under article 72. Is it restricted by section 433A Cr.P.C. ? — 8

राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति पर चर्चा करें। क्या यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433ए से बाधित है ?

3. What is doctrine of 'stare decisis' ? — 4

'निर्णीतानुसरण' का सिद्धांत क्या है ?

CIVIL PROCEDURE CODE
सिविल प्रक्रिया संहिता

4. A party applied for permission to withdraw a suit under order 23 C.P.C. — 8

a. What are the grounds on which court can grant permission for withdrawal of suit. Explain with example ?

b. If permission to withdraw a suit is granted by court & subsequent suit is filed which is barred under Limitation Act then what is the remedy available to the party ?

पक्षकार ने आदेश 23 व्य.प्र.स. के अंतर्गत वाद को वापस लेने का आवेदन दिया।

अ. न्यायालय द्वारा वाद को वापस लेने की स्वीकृति किन आधारो पर दी जा सकती है। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें ?

ब. यदि वाद वापस लेने की अनुमति न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कि गई है और प्रस्तुत पश्चात्वर्ती वाद परिसीमा अधिनियम से बाधित है तब पक्षकार के पास क्या उपचार उपलब्ध हैं ?

5. According to section 9 of C.P.C "Civil Courts shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred." What are the tests to determine whether a suit is expressly or impliedly barred by law or not ? — 8

व्य.प्र.सं. की धारा 9 के अनुसार "जिन वादों का संज्ञान व्यवहार न्यायालयों द्वारा लिया जाना अभिव्यक्ततः अथवा विविक्षित रूप से वर्जित है, उन वादों के सिवाये व्यवहार न्यायालयों को व्यवहार प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी।" ऐसे कौन–से परीक्षण यह निश्चित करने के लिये है कि कोई वाद किसी विधि द्वारा अभिव्यक्ततः या विविक्षित रूप से बाधित है अथवा नहीं ?

6. Whether an application under Order 39 Rule 2-A of C.P.C. is maintainable after disposal of the suit ? 4
क्या वाद के निराकरण के पश्चात व्य.प्र.सं. के आदेश 39 नियम 2–ए के अंतर्गत आवेदन पोषणीय है?

TRANSFER OF PROPERTY ACT
संपत्ति अंतरण अधिनियम

7. Decide the objection of transferee's lis-pendens to avoid execution of decree that he is a bona-fide purchaser of property for consideration without notice about pendency of suit. 8
डिक्री के निष्पादन से बचाव हेतु वादकालीन अंतरक की इस आपत्ति को निराकृत करें कि वह दावे के विचाराधीन होने की सूचना के बिना, प्रतिफलार्थ एवं संपत्ति का सद्भावनापूर्ण क्रेता है।

8. Elucidate the difference between the scope of section 41 - transfer by ostensible owner and section 43 - transfer by unauthorized person who subsequently acquires interest in property transferred, of Transfer of Property Act. 4
सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 – दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण और धारा 43 – अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो कि बाद में अंतरित की गई सम्पत्ति में हित प्राप्त कर लेता है, की परिधि के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए।

CONTRACT ACT
संविदा अधिनियम

9. Explain the various kinds of damages that Court can award for breach of contract and rules relating to assessment of damages. 8
संविदा के भंग की दशा में न्यायालय द्वारा दी जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की क्षतियों और क्षतियों के निर्धारण संबंधी नियमों की व्याख्या करें ?

10. **A**, a singer, contracts with **B**, the manager of a theatre, to sing at his theatre for two nights in every week during the next two months, and **B** engages to pay her a 100/- rupees for each night's performance. On the sixth night, **A** willfully absents herself from the theatre, and **B**, in consequence, rescinds the 4

contract. Whether **B** is liable to pay **A** for the five nights on which **A** had sung ?

एक गायिका **क** थियेटर के प्रबंधक **ख** से अगले दो मास मे प्रति सप्ताह में दो रात उसके थियेटर में गाने की संविदा करती है और **ख** उसे हर रात के गाने के लिये 100/– रूपये देने के लिए वचनबद्ध होता हैं। छठी रात को **क** उस थियेटर से जानबुझकर अनुपस्थित रहती है, और परिणामस्वरूप **ख** उस संविदा को विखंण्डदित कर देता हैं। क्या **ख** उन पांच रातों के लिए जिनमें **क** ने गाया था, **क** को राशि अदा करने के दायित्वाधीन है ?

HINDU MARRIAGE ACT & HINDU SUCCESSION ACT
हिन्दू विवाह अधिनियम तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

11. Whether the amendment made in 2005 in Hindu succession Act are prospective or retrospective ? Explain its implications in detail? 8

क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 मे किये गये संशोधन पूर्वेक्षित हैं या भूतलक्षी हैं ? इसकी विवक्षा की विस्तार से व्याख्या करें?

12. Explain the preferential right to acquire property in certain cases. 4

कुछ दशाओं में सम्पत्ति अर्जित करने के अधिमानी अधिकार को स्पष्ट करें।

SPECIFIC RELIEF ACT
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम

13. (a) Explain the law relating to suit for injunction simpliciter without any relief for declaration. 8

(b) What are the changes effected by "The Specific Relief (Amendment) Act, 2018" in reference to the relief of specific performance?

(अ.) घोषणा की सहायता के बगैर मात्र निषेधाज्ञा के वाद के संबंध में विधि को स्पष्ट कीजिए।

(ब.) "विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम 2018" से विनिर्दिष्ट पालन की सहायता के बाबत क्या परिवर्तन प्रभावी हुये हैं ?

LIMITATION ACT
परिसीमा अधिनियम

14. (a) Whether filling an application u/s 5 of Limitation Act for condonation of delay before the Court "in writing" is mandatory – Explain with case law. 8

(b) Explain the statement - "every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed".

(अ) क्या विलंब क्षमा किए जाने हेतु न्यायालय के समक्ष परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन "लिखित में" प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है? – न्यायदृष्टांत सहित स्पष्ट करें।

(ब) अभिकथन को स्पष्ट करें – "विहित काल के पश्चात हर संस्थित वाद, की गई अपील और किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा"।

M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT
मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम

15. (a) Whether "bonafide need" should continue till passing of the decree of eviction ? If not, whether decree of eviction can be passed ? Explain. 8

(b) Whether Decree of eviction passed on grounds of bonafide need of plaintiff u/s 12(1)(e) or 12(1)(f) of Madhya Pradesh Accommodation Control Act,1961 can be set aside on occurrence of subsequent event ? Discuss with case law ?

अ. क्या "वास्तविक आवश्यकता" को बेदखली की डिक्री पारित होने तक निरन्तर रहना चाहिए ? यदि नहीं, तो क्या बेदखली की डिक्री पारित की जा सकती है ? स्पष्ट करें।

ब. क्या धारा 12(1)(ङ) या धारा 12(1)(च) मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पारित बेदखली की डिक्री पश्चात्वर्ती घटना के होने पर अपास्त की जा सकती है ? न्यायदृष्टांत सहित व्याख्या करें ?

****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2021

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 09
No. of Printed Pages : 09

Second Question Paper
द्वितीय प्रश्न–पत्र

ARTICLE & SUMMARY WRITING
लेख और सारांश लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Please, adhere to the words limit of answers as specified in question paper and such violation may lead to minus marking.

   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ प्रश्न के उत्तर की शब्द–सीमा प्रश्न के साथ दी गई है, उसका अवश्य पालन करें। उल्लंघन पर ऋणात्मक मूल्यांकन हो सकता है।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. In case there is any mistake either or printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.

   यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.

   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.1- Write an article either in English or in Hindi on the following *Social* topic : —20

निम्नलिखित *सामाजिक* विषय पर अंग्रेजी या हिन्दी में लेख लिखिए:

Gender discrimination in India

भारत में लैंगिक भेदभाव

Q.2- Write an article either in English or in Hindi on the following *legal* topic: —20

निम्नलिखित *विधिक* विषय पर अंग्रेजी या हिन्दी में लेख लिखिए:

"Essential practice" doctrine and Article 25 of Constitution of India

"आवश्यक अभ्यास" सिद्धांत और भारत के संविधान का अनुच्छेद 25

Q.3- Summarize the following legal passage into English (In around 1/3rd words of the passage given) —20

निम्नलिखित विधिक गद्यांश का अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण कीजिए (दिये गये गंद्याश के लगभग 1/3 शब्दों में):

To bring the statement in question within the prohibition of Article 20(3) the Constitution of India, the person accused must have stood in the character of an accused person at the time he made the statement. It is not enough that he should become an accused, anytime after the statement has been made. While there is a requirement of formal accusation for a person to invoke Article 20(3) it must be noted that the protection contemplated by Section 161(2), CrPC is wider. Section 161(2) read with 161(1) protects 'any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case' in the course of examination by the police.

Therefore the 'right against self-incrimination' protects persons who have been formally accused as well as those who are examined as suspects in criminal cases. It also extends to cover witnesses who apprehend that their answers could expose them to criminal charges in the ongoing investigation or even in cases other than the one being investigated.

Even though Section 161(2) of the Cr.P.C casts a wide protective net to protect the formally accused persons as well as suspects and witnesses during the investigative stage, Section 132 of the Evidence Act limits the applicability of this protection to witnesses during the trial stage. The latter provision provides that witnesses cannot refuse to answer questions during a trial on the ground that the answers could incriminate them. However, the proviso to this section stipulates that the content of such answers cannot expose the witness to arrest or prosecution, except for a prosecution for giving false evidence. Therefore, the protection accorded to witnesses at the stage of trial is not as wide as the one accorded to the accused, suspects and witnesses during investigation under Section 161(2), Cr.P.C. Furthermore, it is narrower than the protection given to the accused during the trial stage under Section 313(3) and Proviso (b) to Section 315(1), Cr.P.C. The legislative intent is to preserve the fact-finding function of a criminal trial.

Since the extension of the 'right against self- incrimination' to suspects and witnesses has its basis in Section 161(2), Cr.P.C it is not readily available to persons who are examined during proceedings that are not governed by the code. There is a distinction between proceedings of a purely criminal nature and those proceedings which can culminate in punitive remedies and yet cannot be characterised as criminal proceedings. The consistent position has been that ordinarily Article 20(3) cannot be invoked by witnesses during proceedings that cannot be characterised as criminal proceedings. In administrative and quasi-criminal proceedings, the protection of Article 20(3) becomes available only after a person has been formally accused of committing an offence.

Section 27 of evidence Act, provides that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence, in the custody of a police officer, so much of the information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. It cannot be disputed that by giving such information

the accused furnishes evidence, and therefore is a 'witness' during the investigation. Unless, however he is 'compelled' to give the information he cannot be said to be 'compelled' to be a witness; and so Article 20(3) is not infringed. Compulsion is not however inherent in the receipt of information from an accused person in the custody of a police officer. There may be cases where an accused in custody is compelled to give the information later on sought to be proved under S. 27. There will be other cases where the accused gives the information without any compulsion. Where the accused is compelled to give information it will be an infringement of Art. 20(3); but there is no such infringement where he gives the information without any compulsion.

The distinction between inculpatory and exculpatory evidence gathered during investigation is relevant for deciding what will be admissible as evidence during the trial stage. The exclusionary rule in evidence law mandates that if inculpatory evidence has been gathered through improper methods (involving coercion, threat or inducement among others) then the same should be excluded from the trial, while there is no such prohibition on the consideration of exculpatory evidence. However, this distinction between the treatment of inculpatory and exculpatory evidence is made retrospectively at the trial stage and it cannot be extended back to the stage of investigation. If we were to permit the admission of involuntary statement on the ground that at the time of asking a question it is not known whether the answer will be inculpatory or exculpatory, the 'right against self-incrimination' will be rendered meaningless. The law confers on 'any person' who is examined during an investigation, an effective choice between speaking and remaining silent. This implies that it is for the person being examined to decide whether the answer to a particular question will eventually prove to be inculpatory or exculpatory. Furthermore, it is also likely that the information or materials collected at an earlier stage of investigation can prove to be inculpatory in due course.

Q.4(a)- **Translate the following 20 Sentences into English :-** —20

निम्नलिखित 20 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए :—

(1) उपनिधान' एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिये इस संविदा पर माल का परिदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा, या उसे परिदान करने वाले व्यक्ति के निदेशों के अनुसार अन्यथा व्ययनित कर दिया जायेगा।

(2) प्रस्तावना यह उद्घोषित करती है कि भारत एक सम्प्रभु राज्य है। यह इंगित करता है कि भारत किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर नहीं है। वह बिना किसी बाह्य शक्ति द्वारा अधिशासित हुए अपने सभी आंतरिक एवं बाहरी मामलो को संचालित करने के लिये स्वतंत्र हैं।

(3) न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिये या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिये, किसी भी रूप में, किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों से, सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकेगा तथा किसी भी दस्तावेज या चीज का पेश करने का आदेश दे सकेगा।

(4) समन न्यायालय द्वारा की जाने वाली आदेशिका का एक प्रारूप है जो किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिये आहूत करती है। धारा 61 उपबन्धित करती है कि न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप मे और दो प्रतियों में और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

(5) हर अभिवचन मे उन तात्विक तथ्यों का, जिन पर अभिवचन करने वाला पक्षकार, यथास्थिति, अपने दावे या अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर करता है और केवल उन तथ्यों का, न कि उस साक्ष्य का जिसके द्वारा वे साबित किए जाने हैं, संक्षिप्त कथन अन्तर्विष्ट होगा।

(6) मृत्युदण्ड का विषय हमेशा विवादित रहा है। हमारा समाज, विधायिका एवं न्यायपालिका भी इस विषय पर आज तक एक मत नहीं हो पाए है। आज जब किसी को मृत्युदण्ड देते है तो सुधारवादी लोगों का ध्यान सिर्फ अपराधी की मृत्यु पर ही रहता है उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पर कम रहता है। उसके अपराध की गंभीरता एवं उसके करने के तरीके पर ध्यान नही दिया जाता है।

(7) जहां वाद पत्र के अभिवचन से यह प्रकट हों कि वादी को वाद पत्र में वांछित अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, वहां वाद को प्रारम्भिक प्रक्रम पर ही समाप्त कर देना चाहिए।

(8) विबंधन का सिद्धांत पक्षकारों के बीच निष्पक्षतापूर्वक, सद्भाव व ईमानदारी को बढ़ाने की संकल्पना पर आधारित है।

(9) साक्ष्य के मूल्यांकन का एक मूलभूत सिद्धांत है कि किसी पक्षकार को एक ही साथ कभी हां कभी ना नहीं करने अथवा कभी अनुमोदन और कभी अनानुमोदन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(10) मुख्तारनामा धारित करने वाला व्यक्ति, मुख्तारनामा देने वाले व्यक्ति के द्वारा किये गये कार्यों की साक्ष्य मुख्तारनामा देने वाले व्यक्ति की एवज में नहीं दे सकता है।

(11) घरेलू हिंसा को आचरण के ऐसे प्रतिमान के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसमें एक अन्तरंग भागीदार दूसरे भागीदार को नियंत्रित या परिवर्तित करने के लिये शारीरिक हिंसा, प्रपीड़न, धमकी, अभित्रास या पृथक्करण एवं भावनात्मक या आर्थिक या यौन दुरूपयोग का प्रयोग उसके प्रति करता है।

(12) माध्यस्थम् के प्रयोजन से 'लिखित करार' पद के अंतर्गत किसी संविदा में ऐसा माध्यस्थम् खण्ड या ऐसा माध्यस्थम् करार भी शामिल है जो पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित या पत्रों के आदान–प्रदान में समाविष्ट है।

(13) सहज एवं असंदिग्ध शब्दों का अर्थान्वयन उनके सामान्य अर्थ के अनुसार किया जाना चाहिये।

(14) भू–अर्जन के मामलों में न्यायालय, भूमि के आकार, माप, सामना, भूमि की सामर्थ्य, भूमि के प्रत्याशित लोगों आदि सुसंगत कारकों पर मनोयोग पूर्वक विचार कर मुआवजे के निर्धारण हेतु बाध्य है।

(15) परिवर्तित हो रहे विधिक परिदृश्य के साथ गति बनाये रखने के लिए विधि विभाग नियमावली को सरकार द्वारा निर्धारित कालावधि के अंदर व्यापक रूप से अद्यतन किया जाएगा।

(16) राज्य सरकार विभिन्न विभागो के मुकदमों की संख्या एवं गुणवत्ता को देखते हुए पर्याप्त अधोसंरचना प्रदान करके तथा पर्याप्त संख्या में समुचित श्रेणी के अधिकारियों को नियोजित करके विधि प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी।

(17) जहां बार–बार स्थगन लिए जा रहे हो वहां विभाग प्रमुख या विभाग का विधि अधिकारी सुसंगत अभिलेखों का अवलोकन कर सुनिश्चित करेगें कि स्थगन के उचित कारण अभिलेख से प्रकट होते ही।

(18) विभिन्न स्तरों पर इस नीति के सफल कियान्वयन के लिए मुकदमे के प्रबंधन तथा संचालन में हितधारकों/कर्तव्य धारकों की जवाबदेही को बढ़ाया जाना महत्वपूर्ण होगा।

(19) जांच अधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारी का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह जांच संचालित करने के लिए सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रियाओं का पालन करे ताकि प्रकियात्मक भाग में कोई चूक कारित न हो।

(20) अपील के ज्ञापन, सारांश और तारीखों की सूची का विशेष ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करते हुए तैयार किये जाने चाहिए कि उनमें विवाद के तथ्य तथा अंतर्ग्रस्त प्रश्न स्पष्ट रूप से प्रकट हों।

Q.4(b)- Translate the following 20 Sentences into Hindi :- —20

निम्नलिखित 20 वाक्यों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए :

(1) The admissibility of the dying declaration rests upon the principle that a sense of impending death produces in man's mind the same feeling as that of a conscientious and virtuous man under oath.

(2) It has also to be borne in mind that in India, the maxim 'falsus in uno, falsus in omnibus' has no application. It is not the law that if the witness has spoken some falsehood, his entire testimony has to be discarded. Testimony of such a witness requires care and caution at the time of its analysis.

(3) It is well established that there is no presumption under Hindu Law that business standing in the name of member of the joint family is a joint family business even if that member is the manager of the joint family, Unless it could be shown that the business in the hands of the coparcener grew up with the assistance of the joint family property.

(4) Section 34 has been enacted on the principle of joint liability in doing of a criminal act. The section is only a rule of evidence and does not create a substantive offence. The distinctive feature of the section is the element of participation in action.

(5) The entire case is based on circumstantial evidence. Pieces of circumstances, however strong may be, it is well-known that all links in the chain must be proved. In this case a vital link in the chain, viz possibility on the appellant No. 1 committing the offence, closing the door and then sneaking out of the room from one of the two places had not been proved by the prosecution.

(6) It is true that the power of revision confers wide discretion to be exercised fairly by the revisional Court, according to the exigencies of a case but it is too well settled that such exercise is normally done only in exceptional cases where there is glaring defect in the procedure or there is a manifest error on a point of law and consequently there has been a flagrant miscarriage of justice.

(7) Whenever the question of title is raised or is involved, then matter has to be adjudicated by the Civil Court and not by the revenue authorities.

(8) Even if the "Will" is not challenged by anybody, but still the propounder of the "Will" has to discharge his burden.

(9) Territorial jurisdiction of Court ordinarily lies where cause of action arises but by valid contract the parties may submit themselves to the jurisdiction of any other specific court.

(10) Whether after rejecting application u/s 438 Cr.P.C., Court can grant relief of protection from arrest to the accused? Supreme Court under Article 142 of the constitution of India may pass such an order.

(11) Trial of "under trial" accused must be speedy because speedy trial is a fundamental right of accused and if his trial is delayed because of continuous non-appearance of police witness then such accused should be compensated from the State.

(12) Whether omission to state the order in which consecutive sentences are to be carried out would lead to assumption that sentences are directed to run concurrently?

(13) Revision is maintainable against an order passed upon the application for default bail as such order is not an interlocutory order.

(14) Visitation rights should be granted in such a way that visiting parent and child can meet like parent and child.

(15) If the fingerprints were picked from the glasses allegedly used by the accused, there is nothing to indicate what method was applied and whether such method is trusted and tested one.

(16) The Supreme Court has repeatedly expressed the view that Government and statutory authorities should be model litigants and should not put forth false, frivolous, vexatious and technical contentions to obstruct the path of Justice.

(17) The alternative dispute resolution mechanism will be encouraged as cost effective and time saving mode of settling legal disputes.

(18) It shall be mandatory for employees, including those retired, to seek redressal, at first instance, through this system before approaching the Courts.

(19) A legal notice is intended to alert the State to seek a just settlement. When such a legal notice is served upon any Department asking for the relief the same should be decided expeditiously in accordance with the prevalent Rules/ Instructions and by a detailed speaking order.

(20) Several PILs are filed because the competent authorities do not perform their duties or redress complaints. Effective functioning of the departmental grievance redressal system would reduce such cases.

*****

M.P.HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION – 2021

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

Total No. of Questions : 15
कुल प्रश्नों की संख्या : 15

No. of Printed Pages : 05
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 05

Third Question Paper
तृतीय प्रश्न–पत्र
LOCAL LAWS, CRIMINAL LAW & PROCEDURE
स्थानीय विधियाँ, अपराध विधि एवं प्रक्रिया

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks – 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of any question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No./ प्र.क्र.	Question / प्रश्न	Marks/ अंक

INDIAN PENAL CODE
भारतीय दण्ड संहिता

1.	Explain general principles embodied in the Indian Penal Code, governing the exercise of right to private defence of body? शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को शासित करने वाले भारतीय दण्ड संहिता में समाविष्ट सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए ?	8
2.	In furtherance of common intention of A, B and C, A commits rape on a girl under twelve years of age. Under which provisions of IPC, A and rest of the accused persons will be punished and what will be the quantum of sentence? Will there be any difference in quantum of sentence if the woman is below the age of 16 years? ए, बी एवं सी के सामान्य आशय के अग्रसरण में ए द्वारा एक बारह वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्संग किया जाता है। ए व अन्य अभियुक्त भा.द.सं. के किन प्रावधानों के तहत दण्डित किए जायेंगे और दण्ड की मात्रा क्या होगी? क्या दण्ड की मात्रा में कोई भिन्नता होगी यदि स्त्री की आयु 16 वर्ष से कम है?	8
3.	What will be the effect of acquittal of accused under section 302 of the Indian penal code on the charge under section 201 of the Indian penal code? भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त की दोषमुक्ति का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत आरोप पर क्या प्रभाव होगा ?	4

CRIMINAL PROCEDURE CODE
दण्ड प्रक्रिया संहिता

4.	What are the provisions regarding "Power to examine the accused"? What will be the effect if accused puts forth a plausible version in his favour in his examination? "अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति" के संबंध में क्या प्रावधान हैं? यदि अभियुक्त द्वारा उसके परीक्षण में उसके हित में एक संभाव्य विवरण प्रकट करता है तो उसका क्या प्रभाव होगा?	8
5.	Explain the Revisional power of court? whether Revision will lie against following order :-	8

(a) Order passed under sec 156(3) to investigate.
(b) Order passed under sec 91 & 311 Cr.P.C.
(c) Order granting police custody under sec 167 Cr.P.C.
(d) Order framing charges, on ground that the accused had to be charged for a lesser offence.

न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों को समझाए ? क्या निम्न आदेशो के विरूद्ध पुनरीक्षण हो सकता है ?

अ. धारा 156(3) द.प्र.सं. के अन्तर्गत अन्वेषण हेतु पारित आदेश ?
ब. धारा 91 एवं धारा 311 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पारित आदेश ?
स. धारा 167 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पुलिस हिरासत मे देने का आदेश ?
द. आरोप विरचित करने का आदेश, इस आधार पर कि अभियुक्त को लघुत्तर अपराध के लिये आरोपित होना था ?

6. Whether Magistrate can take cognizance of an offence u/s 193 Indian Penal Code on the basis of a private complaint? 4

क्या प्राइवेट परिवाद के आधार पर मजिस्ट्रेट धारा 193 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का संज्ञान ले सकता है?

EVIDENCE ACT
साक्ष्य अधिनियम

7. What are the essential ingredients to convict a person on the basis of the circumstantial evidence? Explain the evidentiary value of the last seen together theory and the extra judicial confession? 8

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिये आवश्यक तत्व क्या हैं ? अंतिम बार साथ मे देखे जाने का सिद्धांत एवं न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्षिक मूल्य का संक्षिप्त मे वर्णन कीजिए ?

8. Explain the nature of DNA evidence through case laws ? 8

डी0एन0ए0 साक्ष्य की प्रकृति न्यायदृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए ?

9. What modes are available in Evidence Act for proving writing or signature of a document which does not required to be attested? 4

किसी दस्तावेज, जिसका अनुप्रमाणन आवश्यक नहीं है; पर किसी हस्ताक्षर या लेख को साबित करने के लिये साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन–कौन सी रीतियां उपलब्ध हैं ?

SC & ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT
अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

10. When the Bar under section 18 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 regarding the grant of anticipatory bail will not be applicable? Explain with latest case law ? 8

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 की धारा 18 में वर्णित निषेध कब अग्रिम जमानत दिये जाने पर लागू नहीं होगा? नवीनतम न्याय निर्णयों सहित स्पष्ट करें ?

11. What are the changes introduced in Section 3(2) (v) of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 by way of Amendment Act of 2016 ? 4

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 की धारा 3(2)(v) में वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम से क्या परिवर्तन पुरःस्थापित किये गये हैं ?

POCSO ACT
लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम

12. Do you agree with the statement that the most important ingredient for constituting the offence of sexual assault under S.7 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 is the 'sexual intent'. Support your answer with reasons. 8

क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7 के अधीन लैंगिक हमला के अपराध के गठन के लिये सबसे महत्वपूर्ण तत्व 'लैंगिक आशय' है ? अपने उत्तर को कारण से समर्थित कीजिये।

13. Discuss the presumptions given under S. 29 and 30 of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. 4

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 29 व 30 में दी गई उपधारणाओं की विवेचना करें।

NDPS ACT (Chapter-3, 4 & 5)
स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम(अध्याय–3,4 व 5)

14. Discuss admissibility of confessional statement of accused under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act,1985. Explain with latest pronouncement of Supreme Court? 8

स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 में अभियुक्त के संस्वीकृति कथन की ग्राह्यता की विवेचना करें। उच्चतम न्यायालय के नवीनतम न्यायदृष्टांतों के साथ समझाईये।

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT (Chapter-13 & 17)
परक्राम्य लिखत अधिनियम (अध्याय—13 व 17)

15. Whether provision to direct accused/appellant by Appellate Court to deposit minimum 20% of the fine or compensation awarded by the trial court under section 148 of the Negotiable Instrument Act, 1881 is mandatory? Explain with case law of Supreme Court. 8

क्या अभियुक्त/अपीलार्थी को अपीलीय न्यायालय द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 148 के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित अर्थदण्ड या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत जमा करने का निर्देश देने संबंधी प्रावधान आज्ञापक है ? उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांतों के साथ समझाईये।

****

M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2021

अनुक्रमांक/Roll No. | | | | |

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 12
No. of Printed Pages : 12

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.

   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

   उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.

   सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Question/ प्रश्न	Marks अंक

SETTLEMENT OF ISSUES
विवाद्यकों की विरचना

Q.1 Frame the issues on the basis of the pleadings given hereunder. **10**

PLAINTIFF'S PLEADINGS -

The plaintiff (daughter) filed a civil suit on 24/07/2011 against her father (defendant No.1), her brother (defendant No.2), her mother (defendant No.3) and respondents No. 4, 5 in whose favour sale-deed dated 23/11/2010 has been executed by defendant No.1. It is claimed in suit that she has 1/4 th share in agriculture land having Khasra No. X, Y, Z (disputed lands) and she is entitled for partition and separate possession. It is also claimed that the sale deeds dated 23/11/2010 is null and void.

According to the plaint, the plaintiff, plaintiff's father, plaintiff's brother and plaintiff's mother constituted a Hindu Undivided Family and are coparceners governed by Mitakshara Law. Plaintiffs father (defendant No.1) and his brother Pramod, their father late Shri Moongaram and his father late Shri Bhima shanker owned agriculture land Khasra No. A & B which was ancestral property. Partition has already took place between plaintiff's father and his brother Pramod. Disputed lands were purchased by plaintiff's father out of the income of the aforementioned ancestral agriculture land. Thus, the disputed lands are undivided ancestral properties of plaintiff and defendant No.1, 2 and 3. Therefore, since her birth, the plaintiff has 1/4th share in the disputed property along-with defendant No.1, 2 and 3. The defendant No.4 and 5 by playing fraud and coersion on defendant No.1, influenced him to execute sale deed dated 23/11/2010 in favour of defendant No. 4 & 5 without consideration. Therefore, the alienation made by defendant No.1 vide sale deed dated 23/11/2010 is not binding and this sale-deed be declared null and void.

DEFENDANT'S PLEADINGS –

Defendant No.1, 2 and 3 in their written statement admitted the facts alleged in the plaint and also admitted plaintiff's claim.

The defendant No. 4 and 5 filed a separate written statement denying the facts alleged in the plaint. It is pleaded that the disputed lands were self acquired property of defendant No.1 and defendant No.1 with his free consent, executed sale deed dated 23/11/2010 in favour of defendant No. 4 & 5 for his personal needs. Full consideration amount was paid by the defendants No. 4 & 5 to defendant No.1. This is a collusive suit and liable to be dismissed with exemplary cost.

प्रश्न 1 निम्नांकित अभिवचन के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये।

<u>वादी के अभिवचन</u>

वादी (पुत्री) ने अपने पिता (प्रतिवादी क्र.1), भाई (प्रतिवादी क्र.2), मां (प्रतिवादी क्र. 3) और प्रतिवादी क्र.4 व 5, जिनके पक्ष में प्रतिवादी क्र.1 ने विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2010 निष्पादित किया था, के विरूद्ध दिनांक 24.07.2011 को वाद प्रस्तुत किया। वाद में यह दावा किया गया है कि उसका विवादित भूमि खसरा क्र. एक्स, वाय, जेड में (विवादित भूमियाँ) 1/4 वाँ हिस्सा है और वह बंटवारे एवं पृथक कब्जा पाने की अधिकारी है। यह भी दावा किया गया कि विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2010 शून्य व अप्रभावी है।

वाद पत्र के अनुसार वादी, वादी के पिता, वादी के भाई और वादी की मां एक संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार का गठन करते हैं और सहदायिक होकर हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते हैं। वादी के पिता (प्रतिवादी क्र.1) और उनके भाई प्रमोद तथा इन दोनों के पिता स्वर्गीय श्री मुंगाराम और मुंगाराम के पिता स्वर्गीय श्री भीमाशंकर कृषि भूमियों खसरा क्र. ए और बी के भूमि स्वामी थे और यह पैतृक भूमियां थी। वादी के पिता एवं उनके भाई प्रमोद के बीच बंटवारा हो चुका है। विवादित भूमियों को वादी के पिता ने पूर्व वर्णित पैतृक कृषि भूमियों से अर्जित आय से क्रय किया था। इस प्रकार विवादित भूमियां वादी एवं प्रतिवादी क्र.1, 2 व 3 की अविभाजित पैतक सम्पत्तियां हैं। अत वादी का उसके जन्म से 1/4 वाँ हिस्सा प्रतिवादी क्र.1, 2 व 3 के साथ है। प्रतिवादी क्र.4 व 5 ने प्रतिवादी क्र.1 के साथ छल एवं कपट करके प्रतिवादी क्र.1 को प्रभावित कर प्रतिवादी क्र.4 व 5 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2010 को बिना प्रतिफल के निष्पादित कराया था। अतः विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2010 से प्रतिवादी क्र.1 द्वारा किया गया अंतरण बंधनकारी नहीं है और इसे शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाये।

<u>प्रतिवादीगण के अभिवचन</u>

प्रतिवादी क्र.1, 2 व 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित सभी तथ्यों और वादी के दावों को स्वीकार किया है।

प्रतिवादी क्र.4 व 5 ने पृथक जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया है। उनका अभिवचन है कि विवादित भूमियां प्रतिवादी क्र.1 की स्व अर्जित सम्पत्ति थी और प्रतिवादी क्र.1 ने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं हेतु अपनी स्वतंत्र सम्मति से प्रतिवादी क्र.4 व 5 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2010 निष्पादित किया था। प्रतिवादी क्र.4 व 5 द्वारा प्रतिवादी क्र.1 को पूरा प्रतिफल अदा किया गया था। यह दुःस्संधि वाद है और उदाहरणात्मक खर्चे सहित निरस्त किये जाने योग्य है।

FRAMING OF CHARGES

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of facts given here under – **10**
निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आरोप/आरोपों की विरचना कीजिये।

<u>PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS</u> -

Deceased Prashant and accused Vinod were friends. On the date of incident, deceased Prashant called accused Vinod and asks him to come to his flat and when Vinod reached at his flat he found Prashant angry

and restless. As Prashant saw to the accused, he asked him why he is spreading all sort of rumors and bad things about him. Accused denied doing as such anything but Prashant was not convinced. Prashant threatened the accused that if he will keep continue spreading rumors about him he will make public his illicit relationship with his neighbour woman. Accused Vinod got enraged, he picked up a nylon rope lying nearby and strangulated Prashant to death. After Prashant died accused pushed his dead body under his bed. Accused picked up Prashant's mobile phone and nylon rope, locked the flat from outside and drove away on his motorcycle. On his way to home, accused threw the nylon rope and sim card installed in Prashant's mobile phone, into the river and hid the mobile phone under his bed in his house.

<u>अभियोजन का प्रकरण / अभिकथन</u>–

अभियुक्त विनोद एवं मृतक प्रशांत मित्र थे। घटना दिनांक को प्रशांत ने विनोद को फोन किया और कहा कि वह उसके फ्लैट पर आये और जब विनोद प्रशांत के फ्लैट में पहुंचा तो उसने प्रशांत को गुस्से में और अशांत पाया। जैसे ही प्रशांत ने आरोपी को देखा उसने उससे पूछा कि तुम मेरे बारे में सभी प्रकार की अफवाह और बुरी बातें क्यों फैलाते हो? अभियुक्त ने ऐसा कुछ भी करने से इंकार किया, किंतु प्रशांत संतुष्ट नहीं हुआ। प्रशांत ने अभियुक्त को धमकी दी कि वह उसके बारे में अफवाह फैलाना जारी रखेगा तो वह उसके पड़ोसी महिला के साथ अवैध संबंधों को सार्वजनिक कर देगा। अभियुक्त विनोद गुस्से में आ गया और उसने वहीं पड़ी नायलोन की रस्सी उठाकर प्रशांत का गला घोट दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रशांत की मृत्यु के बाद अभियुक्त ने उसके शव को उसके बिस्तर के नीचे धकेल दिया। अभियुक्त ने प्रशांत का मोबाइल और नायलोन की रस्सी उठा ली, फ्लैट को बाहर से ताला लगाया और अपनी मोटर साईकिल से वहां से चला गया। घर के रास्ते में उसने नायलोन की रस्सी और मृतक के मोबाइल में लगे सिम कार्ड को नदी में फैंक दिया और मोबाइल को अपने घर में अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgement on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts:- **40**

<u>Plaintiff's Pleadings</u> :-

Plaintiff agreed to purchase a piece of land admeasuring area 1 Bigha out Khasra no. 333 of Village Khamariya from the defendant No.1 for consideration of Rs.2,00,000/-. At the time of agreement Rs.25,000/- was given as earnest money whereas rest amount was to be paid at the time of registration of sale deed. It was agreed that before registration of sale deed, seller/defendant No.1 will get permission of sale and obtain NOC from revenue department, within a period of six

months. The defendant No. 1 did not take any steps to take permission and NOC. On the request of defendant No.1, plaintiff further paid him Rs.1,00,000/- out of the consideration amount. On asking for registration of sale deed, defendant No.1 said that he did not get permission and NOC and lateron denied to execute the sale deed. Defendant No. 2 has unauthorized possession over the land. Plaintiff was always ready and willing to perform his part of contract. Therefore, suit for specific performance of contract and possession of suit land has been filed.

<u>Defendant's Pleadings</u> :-

Defendant No. 1 pleaded that he has not executed any agreement in favour of plaintiff regarding land. He had handed over the possession of land almost 15 years back to the defendant No. 2 under an oral agreement to sale. He borrowed a sum of Rs.1,25,000/- from the plaintiff and he is ready to return the same. Plaintiff fraudulently obtained his signature on any document but he never executed any agreement to sell in his favour.

Defendant No. 2, has filed separate written statement and pleaded that he took possession of land from defendant No. 1 under oral agreement to sale almost 15 years back and now he has become owner of land by adverse possession. The defendant No. 1 has no right to sell the land to the plaintiff. Both the defendants prayed for dismissal of suit.

<u>Plaintiff's Evidence</u> :-

Plaintiff has proved the agreement. He produced attesting witness to prove transaction and he also proved receipt of the payment. He has also proved that he has sufficient money for payment of rest consideration amount and registration expenses of sale deed but the defendant No. 1 has not made Registration of land despite repeated requests.

<u>Defendant's Evidence</u> :-

Defendant No. 1 appeared as witness and gave an oral statement regarding transaction with defendant No.2. He has admitted that he received Rs.125000/- from the plaintiff on the two different occasions. He admitted his signature on the agreement.

In support of his pleadings, the defendant No. 2 has filed entries of revenue record showing his possession over disputed land for fifteen years. He admitted that name of the defendant No. 1 is in revenue record as a owner of the disputed land. He did not say anything about making payment of consideration of land.

Arguments of Plaintiff :-

Possession of defendant No. 2 over disputed land is unauthorized. Oral agreement without consideration has no significance. He is entitle for registration of sale deed in his favour and for possession of land from defendant No.2.

Arguments of Defendant :-

Defendant No. 2 has already got ownership of disputed land on the basis of adverse possession. Therefore, plaintiff can get relief of refund of money only.

प्रश्न 3 निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य की विवेचना करते हुए निर्णय, विवाद्यक विरचित करने के पश्चात् संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखकर लिखिये –

वादी के अभिवचन :–

वादी ने प्रतिवादी क्र. 1 से ग्राम खमरिया की खसरा नं. 333 की भूमि में से एक बीघा भूमि 2,00,000/– रूपये में क्रय करने का अनुबंध किया। अनुबंध के समय 25,000/– रूपये बयाना राशि के रूप में दिये गये जबकि, शेष राशि विक्रय पत्र के पंजीयन के समय अदा की जानी थी। यह तय हुआ कि विक्रय पत्र पंजीकरण के 6 माह पूर्व प्रतिवादी क्र. 1 भूमि के विक्रय की अनुमति और अनापत्ति राजस्व विभाग से प्राप्त करेगा। प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा अनुमति व अनापत्ति प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रतिवादी क्र. 1 के अनुरोध पर वादी ने उसे अतिरिक्त 1,00,000/– रूपये प्रतिफल राशि में से अदा किये। विक्रय पत्र का पंजीयन कराये जाने हेतु कहे जाने पर प्रतिवादी क्र. 1 ने कहा कि उसने अनुमति और अनापत्ति प्राप्त नहीं की और बाद में विक्रय पत्र निष्पादन अस्वीकार कर दिया। प्रतिवादी क्र. 2 अनधिकृत रूप से भूमि पर काबिज है। वादी हमेशा संविदा के अपने भाग के पालन हेतु तैयार व तत्पर रहा है। अतः संविदा के विनिर्दिष्ट पालन और भूमि के कब्जे हेतु दावा प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी के अभिवचन :–

प्रतिवादी क्र. 1 ने यह अभिवचन किये हैं कि उसने वादी के पक्ष में कोई अनुबंध भूमि के संबंध में निष्पादित नहीं किया है। वह करीब 15 वर्ष पूर्व प्रतिवादी क्र. 2 को मौखिक विक्रय अनुबंध के तहत भूमि का कब्जा सौंप चुका है। उसने वादी से 1,25,000/– रूपये उधार लिये थे जो वह वापस लौटाने को तैयार है। वादी द्वारा धोखाधड़ी से किसी दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर करा लिये हैं परन्तु उसने कभी कोई विक्रय अनुबंध वादी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है।

प्रतिवादी क्र. 2 ने पृथक से जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए यह दावा किया है कि वह प्रतिवादी क्र. 1 से मौखिक अनुबंध के तहत 15 वर्ष पूर्व से भूमि का कब्जा प्राप्त कर चुका है और अब प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमि का स्वामी हो चुका है। प्रतिवादी क्र. 1 को वादी की भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों प्रतिवादीगण ने दावा निरस्त करने का निवेदन किया है।

वादी की साक्ष्य :–

वादी ने अनुबंध प्रमाणित किया है। संव्यवहार के संबंध में अनुप्रमाणन साक्षियों को प्रस्तुत किया है और भुगतान की रसीद भी प्रस्तुत की है। उसने यह भी प्रमाणित किया है कि उसके पास बकाया प्रतिफल राशि अदा करने हेतु और विक्रय पत्र के पंजीयन के खर्चे हेतु पर्याप्त राशि है किंतु प्रतिवादी न. 1 ने उसके बार–बार आग्रह के उपरांत भी भूमि का पंजीयन नहीं कराया।

प्रतिवादी की साक्ष्य :–

प्रतिवादी क्र. 1 ने स्वयं को साक्षी के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी क. 2 के साथ हुए संव्यवहार के संबंध में मौखिक कथन किये हैं। उसने यह स्वीकार किया है कि उसने वादी से 1,25,000/– रूपये दो विभिन्न अवसरों पर प्राप्त किये। उसने अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है।

प्रतिवादी क्र. 2 ने अपने अभिवचनों के समर्थन में राजस्व अभिलेखों के इंद्राज प्रस्तुत किये हैं जिसमें विवादित भूमि पर उसका कब्जा 15 वर्षों से दर्शित होता है, इस बात को स्वीकार करता है कि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्र. 1 का नाम विवादित भूमि के स्वामी के रूप में दर्ज है। उसने भूमि का कोई प्रतिफल दिये जाने के संबंध में कुछ नहीं कहा है।

तर्क वादी :–

प्रतिवादी क्र. 2 का भूमि पर कब्जा अनधिकृत है। बगैर प्रतिफल के किया गया मौखिक अनुबंध किसी महत्व का नहीं है। वह भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में कराने और भूमि का कब्जा प्रतिवादी क. 2 से प्राप्त करने का अधिकारी है।

तर्क प्रतिवादी :–

प्रतिवादी क्र. 2 भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व प्राप्त कर चुका है। इस कारण वादी सिर्फ राशि वापस प्राप्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge on the basis of the given facts and write a judgement with reasons on the basis of allegations, evidence and arguments given hereunder, keeping in mind the relevant provisions of the concerned laws. **40**

Prosecution case :-

(i) On 05.02.2021 at about 3 p.m., the accused Dayaram armed with a 12-bore gun and accompanied with co-accused Harisingh, Ajmersingh, Ramswaroop and Kaptansingh came to the house of Khalaksingh (now deceased) at village Rampur and abused him. In response, Khalaksingh also uttered abusive words. Being enraged, Dayaram fired at Khalaksingh with his gun. The injured body of Khalaksingh started profusely bleeding. He walked a few paces and fell down. On hearing sound of firing, villagers including Khalaksingh's brother Jhandusingh (PW5), neighbours Raghuvirsingh (PW9) and Jashwatsingh (PW2)

rushed to the spot where Khalaksingh made an oral statement to them that it was Dayaram only who had caused guns shot injuries. After that immediately, Khalaksingh succumbed to the injuries.

(ii) On the same day at 5 p.m., Jhandusingh lodged the F.I.R (Ex.P-3) at P.S Rampur. It was recorded by SHO P.D. Mishra (PW14) who registered a case under Sections 147 and 302 read with S. 149 of the IPC. After inquest proceedings, panchnama (Ex.P-1) was prepared. Dead body of Khalaksingh was taken by Constable Bajrang Singh (PW12) to the hospital for post-mortem. Autopsy Surgeon Dr. D.K Kulshrestha (PW11) opined that cause of Khalaksingh's death was gun shot injuries described in the post-mortem report (Ex.P-15) as under -

> "There was a lacerated wound 12 cm. x 10 cm. x 8 cm. irregular in shape, over the left axilla and chest. Blood-clots were present. There was tattooing around the wounds and the muscles were lacerated, pleura was lacerated on the left side. Left lung was lacerated. 2nd and 3rd ribs were found fractured".

Dr D.K Kulshrestha also extracted 12 pellets from the dead body and sealed them in a packet that was handed over to Bajrang singh.

(iii) During investigation, Head Constable Gotiram (PW13) prepared spot map (Ex.P.-11) and seized blood stained soil from the place of shooting and also from the place where the injured Khalaksingh had fallen down (as per seizure memos Exhibits P-12 and P-13). Blood stained pellets extracted by the Autopsy Surgeon were also seized vide memo (Ex.P-4). All the five accused were arrested on 26-02-2021 and arrest memos (respectively Ex.P-6 to P-10) were prepared. A 12 bore gun and 9 Cartridges, were seized from the possession of Dayaram, and seizure memo (Ex. P-5) was made.

(iv) All the seized articles were sent to FSL, Sagar along with letter, copy of which is (EX.P-14). The Ballistic Expert's report (Ex.P-16) indicated the gun allegedly seized from Dayaram was not in perfect working condition but it was capable of firing 12-bore cartridges.

(v) After due investigation, charge-sheet was submitted against all the five accused in the Court of JMFC, Satna who committed case to the court of Session for trial.

<u>Defence Plea :-</u>

(i) False prosecution due to prevailing animosity on account of Panchayat Election.

(ii) Someone else killed Khalaksingh who was having a consistent criminal record.

(iii) The oral dying declaration was not reliable as after receiving

injuries Khalaksingh had become unable to speak.

Evidence- for prosecution :-

(i) The prosecution examined as many as 14 witnesses including the witnesses referred to above and Man Singh (PW1), Jashwant Singh (PW2), Sultan Singh (PW3) and Layak Singh (PW4) who had allegedly witnessed Dayaram fired at Khalaksingh. The other witnesses were-

(a) Santosh Singh (PW6), the panch witness of the spot map and seizure of the bloodstained soil etc. from the spot.

(b) Kamal (PW7), the panch witness of arrest of Dayaram and seizure of the gun and cartridges from him.

(c) Thakur Singh (PW8) the panch witness of arrest of other accused.

(d) Constable Bajrang Singh (PW12) who had taken the dead body of Khalaksingh to the hospital and brought the sealed packet containing pellets to the police station.

(ii) According to Dr. D.K. Kulshrestha (PW11), the gun shot injuries found on the dead body of Khalaksingh were ante-mortem in nature and were sufficient in the ordinary course of nature to cause death. In the cross-examination, he admitted that after being shot at Khalaksingh there was a possibility of survival for 5 minutes only.

(iii) Mansingh (Pw1) deposed that he had seen Dayaram shooting Khalaksingh with the gun (Art. 'A'). He also referred to the oral dying declaration made by the deceased. In the cross-examination, Mansingh clearly admitted that the relations between Khalaksingh and Dayaram were not cordial and that they were also members of rival political parties. Sultansingh (PW3), a resident of another village, who had come to meet his cousin Khalaksingh, also supported the evidence of Mansingh. However, the other eyewitness Layak Singh (PW4) was declared hostile by the prosecution.

(iv) First informant Jhandusingh (PW5) reiterated the facts scribed in the FIR by SHO P.D. Mishra. He clearly stated that before breathing his last, Khalaksingh could reveal that he was shot by Dayaram only. His statement was corroborated by Raghuvirsingh (PW9) and Jashwant Singh (PW2) named in the FIR and also by Laxmansingh (PW10), the Patel of the village. P.D. Mishra (PW14) admitted that the deceased had criminal history.

Evidence for defence :-

The defence examined Civil Surgeon Dr. R.K. Shukla (DW1), who ruled out the possibility that after receiving the gun shot injuries, Khalaksingh was in a position to speak.

Arguments of Prosecutor :-

(i) By the evidences placed on record, charges against all the accused are proved.

(ii) The opinion of Dr. R.K. Shukla deserves to be rejected in light of overwhelming and contrary oral evidence.

Arguments of Defence Counsel :-

(i) None of the witnesses examined by the prosecution had seen the occurrence and evidence of so-called eyewitnesses not named in the FIR are unreliable. This apart, the evidence of Sultansingh deserves to be discarded as a related and chance witness.

(ii) Existence of an unlawful assembly was not established.

(iii) The prosecution evidence is not sufficient to prove any charge beyond a reasonable doubt. On the contrary, the probability of defence is clearly established.

प्रश्न 4 दिये गये तथ्यों के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये आक्षेपों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर सकारण निर्णय संबंधित विधि के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :–

(i) दिनांक 05.02.2021 को अपरान्ह 3 बजे अभियुक्त दयाराम एक बारह बोर बंदूक से सुसज्जित होकर सह–अभियुक्त हरिसिंह, अजमेरसिंह, रामस्वरूप एवं कप्तानसिंह के साथ खलकसिंह (अब मृतक) के ग्राम रामपुर स्थित मकान पर आया और उसको गालियां दी। उत्तर में, खलकसिंह ने भी अपशब्दों का उच्चारण किया। क्रोधित होकर, दयाराम ने अपनी बंदूक से खलकसिंह पर गोली चलाई। आहत खलकसिंह के शरीर से अत्यधिक रक्त स्त्राव होने लगा। वह केवल कुछ कदम ही चल सका और गिर गया। गोली की आवाज सुनकर, ग्रामवासी जिनमें खलकसिंह का भाई झंडु सिंह (अ. सा.5) पडोसी रघुवीर सिंह (अ.सा. 9) एवं जसवंतसिंह (अ.सा. 2) घटनास्थल की ओर भागे। उनके समक्ष खलकसिंह ने मौखिक कथन किया कि दयाराम ने ही उस पर गोली के घाव पहुंचाये हैं। इसके तुरंत बाद, खलकसिंह की आई चोटो से मृत्यु हो गई।

(ii) उसी दिन सायंकाल 5 बजे, झंडुसिंह ने थाना रामपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र. पी. 3) लिखवाई जिसे थाना प्रभारी पी.डी. मिश्रा (अ.सा.14) ने अभिलिखित किया था और भा.द.सं. की धारा 147 तथा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया। मृत्यु समीक्षा के बाद पंचनामा (प्र.पी. 1) तैयार किया गया। खलकसिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिये आरक्षक बजरंग सिंह (अ.सा. 12) द्वारा अस्पताल ले जाया गया। शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक डॉ डी.के. कुलश्रेष्ठ (अ.सा. 11) ने यह राय दी कि खलकसिंह की मृत्यु का कारण गनशॉट चोटें थी जिन्हे पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 15) मे निम्नानुसार वर्णित किया था–

> "एक फटा हुआ घाव 12 सेमी. गुणा 10 सेमी. गुणा 8 सेमी. अनियमित आकार का बाई कांख तथा सीने पर, खून के थक्के

मौजूद थे। घाव के चारों ओर गोदन (टेटूइंग) मौजूद थी और मांसपेशियां फटी हुई थीं। फुस्फुस बाई ओर फटा हुआ था, बांया फेफड़ा फटा हुआ था, दूसरी तथा तीसरी पसलियां टूटी हुई थी।''

डॉ डी.के. कुलश्रेष्ठ ने खलकसिंह के शव में से 12 छर्रे भी निकाले थे और उनको एक पैकेट में सीलबंद कर बजरंग सिंह को सौप दिया था।

(iii) अनुसंधान के दौरान प्रधान आरक्षक गोटीराम (अ.सा. 13) ने घटनास्थल का नक्शा (प्र.पी. 11) बनाया था तथा उस स्थान से जहॉ पर खलकसिंह को गोली लगी थी तथा जहॉ वह गिर पड़ा था (जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 एवं प्रदर्श पी. 13 के अनुसार) खून आलूदा मिट्टी जप्त की थी। शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक द्वारा निकाले गये रक्त रंजित छर्रे भी जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी. 4) द्वारा जप्त किये गये। पांचो अभियुक्त दिनांक 26.02.2021 को गिरफ्तार किये गये और गिरफ्तारी पत्रक (क्रमशः प्रदर्श पी. 6 से प्रदर्श पी. 10) तैयार किये गये। दयाराम के कब्जे से एक 12–बोर बंदूक और 9 कारतूस जप्त किये गये और जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी. 5) बनाया गया।

(iv) समस्त जप्तशुदा वस्तुएं पत्र, जिसकी प्रति (प्रदर्श पी. 14) है, के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर को भेजी गई। प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट (प्रदर्श पी 16) में इंगित किया गया कि दयाराम से कथित रूप से जप्त की गई बंदूक पूर्णरूप से चालू स्थिति में नही थी, किंतु उससे 12 बोर के कारतूस चलाये जा सकते थे।

(v) सम्यक् अनुसंधान के उपरांत, पांचो अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सतना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने प्रकरण को विचारण के लिये सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया।

प्रतिरक्षा अभिवाक :–

(i) पंचायत चुनाव के कारण प्रचलित शत्रुता के आधार पर असत्य अभियोजन।

(ii) खलकसिंह, जिसका निरंतर आपराधिक रिकार्ड था, को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मारा गया था।

(iii) मौखिक मृत्युपूर्व कथन विश्वसनीय नही था क्योकि चोटें लगने के बाद खलकसिंह बोलने मे असमर्थ हो गया था।

अभियोजन की साक्ष्य :–

(i) अभियोजन पक्ष ने कुल 14 साक्षियों का परीक्षण कराया, जिनमें उपरोक्तानुसार संदर्भित साक्षियों के अलावा मानसिंह (अ.सा.1), जसवंत सिंह (अ.सा.2), सुल्तान सिंह (अ.सा.3) एवं लायक सिंह (अ.सा.4) जिन्होने कथित रूप से दयाराम को खलकसिंह पर गोली चलाते हुये देखा था, सम्मिलित थे। अन्य साक्षीगण थे–

(क) संतोष सिंह (अ.सा.6) घटनास्थल के मानचित्र एवं वहां से खून आलूदा मिट्टी की जप्ती का पंचसाक्षी।

(ख) कमल (अ.सा.7) दयाराम की गिरफ्तारी तथा उससे बंदूक एवं कारतूसों की जप्ती का पंचसाक्षी।

(ग) ठाकुर सिंह (अ.सा.8) अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का पंचसाक्षी।

(घ) आरक्षक बजरंग सिंह (अ.सा.12) जो खलकसिंह के शव को अस्पताल ले गया था और वहॉ से एक सील पैकेट जिसमें छर्रे थे, थाने लेकर आया था।

(ii) डॉ. डी.के. कुलश्रेष्ठ (अ.सा.11) के अनुसार, खलकसिंह के शव पर पाई गई

गनशॉट चोटें मृत्युपूर्व की थीं और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम मे मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि गोली लगने के बाद खलक सिंह के केवल 5 मिनट जीवित रहने की संभावना थी।

(iii) मानसिंह (अ.सा.1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने दयाराम को बंदूक (आर्टिकल 'अ') से खलकसिंह को गोली मारते हुये देखा था। उसने मृतक के मौखिक मृत्युपूर्व कथन को भी संदर्भित किया। प्रतिपरीक्षण में मानसिंह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि खलकसिंह तथा दयाराम के मध्य संबंध सौहार्दपूर्ण नही थे और वे परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों के सदस्य थे। सुल्तान सिंह (अ.सा.3) जो अन्य गांव का निवासी था और अपने ममेरे भाई खलकसिंह से मिलने आया था, ने भी मानसिंह की साक्ष्य की संपुष्टि की। हालांकि एक अन्य चक्षुदर्शी साक्षी लायक सिंह (अ.सा.4) को अभियोजन ने पक्ष विरोधी घोषित किया था।

(iv) प्रथम सूचनाकर्ता झंडुसिंह (अ.सा.5) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में थाना प्रभारी पी.डी. मिश्रा द्वारा लिखित तथ्यों को दोहराया। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अंतिम सांस लेने से पूर्व खलकसिंह यह बता सका था कि उसको दयाराम ने ही गोली मारी थी। उसके कथन का रघुवीर सिंह (अ.सा.9) तथा जसवंत सिंह (अ.सा.2) जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित थे तथा गांव के पटेल लक्ष्मण सिंह (अ.सा.10) ने समर्थन किया था। पी.डी.मिश्रा (अ.सा.14) ने स्वीकार किया कि मृतक का आपराधिक इतिहास था।

<u>बचाव साक्ष्य :—</u>

बचाव पक्ष ने सिविल सर्जन डॉ आर.के. शुक्ला (ब.सा.1) का परीक्षण कराया जिसने इस संभावना को अमान्य किया कि चोटें लगने के बाद खलकसिंह बोलने की स्थिति मे था।

अभियोजक का तर्क :—

(i) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से समस्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित है।

(ii) अतिप्रबल एवं विरोधी मौखिक साक्ष्य के आलोक में डॉ आर.के. शुक्ला की राय अस्वीकृत किये जाने योग्य हैं।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :—

(i) अभियोजन द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी ने घटना नहीं देखी थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं होने के कारण कथित चक्षुदर्शीगण की साक्ष्य अविश्वसनीय है। इसके अतिरिक्त, एक रिश्तेदार एवं चांस साक्षी होने के कारण सुल्तानसिंह की साक्ष्य भी त्यक्त किये जाने योग्य है।

(ii) एक अवैध समूह का अस्तित्व स्थापित नहीं हुआ।

(iii) अभियोजन साक्ष्य किसी भी आरोप को एक युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नही है। इसके विपरीत, बचाव की संभावना स्पष्टतया प्रमाणित है।

****